प्रेषक,

डा0 रामानन्द प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–3914 / सत्तर–6–2009–2(3) / 2003

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2009

विषय:– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–पू0वि0वि0 / सम्बद्धता / (एक) / 2007 / 2158, दिनांक 29.10.2007, पत्रांक–पू0वि0वि0 / सम्ब0 / 05.25(एक) / 2003 / 8161, दिनांक 25.06.2009 एवं पत्रांक–पू0वि0वि0 / सम्ब0 / 05(एक) / 2008 / 535, दिनांक 27.08.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, कर्माजीतपुर, सुन्दरपुर, वाराणसी को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अंतर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(डा0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या–3914(1) / सत्तर–6–2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. प्रबन्धक, धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, कर्माजीतपुर, सुन्दरपुर, वाराणसी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1735
19.9.09